आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांकः—एफ 7(4)विविध / अकाद / आकाशि / 2024—03469 / दिनांकः—

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— मुख्यमंत्री रोजगार मेला दिनांक 08 मार्च, 2024 के संबंध में।

संदर्भः— कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प.15(8)संकल्प पत्र / 2024 / 2785 दिनांक 04.03.2024।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सभी जिला मुख्यालयों पर प्रथम मुख्यमंत्री रोजगार मेला दिनांक 08 मार्च, 2024 को आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

सलंग्न— उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रो. विजय सिंह जाट,
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid
RajKaj Ref 6013440
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.03.07 18:36:12 IST
Reason: Approved

राजस्थान–सरकार

कौशल ,रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प.15(8)संकल्प पत्र / 2024 / 2785 दिनांक: 04/03/2024

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री रोजगार मेले आयोजित किये जाने है। इन रोजगार मेलों में, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पाने वाले युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय संबोधित करेंगे। राज्य के सभी संभागीय आयुक्त एवं समस्त जिला कलक्टर इससे वर्चुअली जुड़ेगे। माननीय मुख्यमंत्री, जिला मुख्यालयों पर उपस्थित होने वाले नव–नियुक्त युवाओं से वर्चुअली जुड़ कर उनसे संवाद करेंगे एवं उनकी नियुक्ति की घोषणा करेंगे।

इस कडी में प्रथम मुख्यमंत्री रोजगार मेला दिनांक 8 मार्च 2024 को आयोजित किया जा रहा है। आयोजित होने वाले इस मुख्यमंत्री रोजगार मेले के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी की जाती है:–

1. रोजगार मेलों के आयोजन हेतु रोजगार विभाग नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
2. जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री रोजगार मेला, सम्बंधित संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित होगा। रोजगार विभाग के जिला कार्यालयाध्यक्ष संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करेंगे।
3. कार्मिक विभाग के द्वारा नव–नियुक्त युवाओं की, उनके पदस्थापन कार्यालय के पते के अनुसार जिला एवं तहसील वार सूचियॉ, मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. सहित संकलित कर, संबंधित संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी तथा एक इकजाई सूची, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर को भी उपलब्ध कराई जायेगी।
4. संबंधित संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, नवनियुक्त युवाओं को रोजगार मेले में आने के लिये सूचना भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का कार्यक्रम स्थल पर पंजीकरण भी कराया जायेगा।
5. रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवाओं को उपस्थिति प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा। इसके लिये संबंधित जिला कलेक्टर व्यवस्था करायेंगे।
6. संबंधित संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के द्वारा आयोजन–स्थल पर सम्मिलित होने वाले नवनियुक्त युवाओं की संख्या के अनुसार, छाया–पानी, बैठने के लिये कुर्सियां, माईक इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।
7. सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आयोजन–स्थल पर कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. प्रचार–प्रसार एवं अखबारों में विज्ञापन, संबंधी समस्त कार्य सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के द्वारा किये जायेगा।

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

RajKaj Ref
5901448

PS/CCE/1
I.D. No. 548
Dated 5.3.24

क्रमांक: प.15(8)संकल्प पत्र/2024/2786-2902 दिनांक: 04/03/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. निदेशक रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान जयपुर।
12. लेखाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान जयपुर।
13. समस्त रोजगार कार्यालयाध्यक्ष राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

RajKaj Ref
5901448

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sudhansh Pant
Designation : Chief Secretary
Date :01-03-2024 03:25:39